संख्या-434/2023/1153/22-2-2023-17(419)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 जुलाई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेन्द्र उर्फ खुड्डा पुत्र श्री गंगाराम, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.10.2023), दिनांक 19.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेन्द्र उर्फ खुड्डा पुत्र श्री गंगाराम, ग्राम-अड्डा फिरोजपुर, थाना-नौहझील, जनपद-मथुरा का निवासी है। पुरानी रंजिश एवं दिनांक-09-07-2004 को वादी के पुत्र से हुयी कहासुनी में बन्दी ने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक व कट्टे से लैस होकर वादी के घर पर चढ़कर दरवाजे पर खड़े वादी के पुत्र मुकुट की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1022,1023/2004, भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149 व 25 ए0 एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-09. मथुरा के आदेश दिनांक 23.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-24.05.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 02.10.2021 तक 17 वर्ष, 02 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 07 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं प्राबेशन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में भविष्य में अपराध किये जाने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा उपयुक्त नहीं होने, बंदी शातिर किस्म का अपराधी होने एवं पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 02.10.2021 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह 22 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 07 माह, 29 दिन की भोगी गयी अधिक लम्बी सजावधि, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं प्राबेशन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार/आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी योगेन्द्र उर्फ खुड्डा पुत्र श्री गंगाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेन्द्र उर्फ खुड्डा (बन्दी संख्या-13198) पुत्र श्री गंगाराम, निवासी जनपद-मथुरा की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-434/2023/1153(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-434/2023/1153/22-2-2023-17(419)/2023

दिनांक 14 जुलाई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेन्द्र उर्फ खुड्डा पुत्र श्री गंगाराम, ग्राम-अड्डा फिरोजपुर, थाना-नौहझील, जनपद-मथुरा का निवासी है। पुरानी रंजिश एवं दिनांक-09-07-2004 को वादी के पुत्र से हुयी कहासुनी में बन्दी ने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक व कट्टे से लैस होकर वादी के घर पर चढ़कर दरवाजे पर खड़े वादी के पुत्र मुकुट की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1022,1023/2004, भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149 व 25 ए0एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-09. मथुरा के आदेश दिनांक 23.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-24.05.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 02.10.2021 तक 17 वर्ष, 02 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 07 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

2- जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं प्राबेशन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में भविष्य में अपराध किये जाने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा उपयुक्त नहीं होने, बंदी शातिर किस्म का अपराधी होने एवं पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.01.2023 में बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 02.10.2021 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह 22 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 07 माह, 29 दिन की भोगी गयी अधिक लम्बी सजावधि, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं प्राबेशन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार/आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी योगेन्द्र उर्फ खुड्डा पुत्र श्री गंगाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4- सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा प्रश्नगत बंदी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in